राजकीय महाविद्यालय चुवाड़ी, तहसील भटियात, जिला चम्बा, हि0प्र0 के छात्र निधि लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2012 से 31.03.2018

भाग-एक

1 **(i) प्रस्तावना** :- अंकेक्षण अवधि के दौरान महाविद्यालय में निम्नलिखित प्रधानाचार्य द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारी के रूप में कार्य किया :-

क्रम सं0	प्रधानाचार्य का नाम	अवधि
1.	श्रीमति शशि गुप्ता	20-10-2008 से 30-06-2013
2.	श्री जगजीत सिंह (officiating)	01-07-2013 से 25-06-2014
3.	श्री एम.के.चौधरी	26-06-2014 से 31-05-2016
4.	श्री के.सी.मन्हास (officiating)	01-06-2016 से 10-05-2017
5.	श्रीमति अरुणा शर्मा	11-05-2017 से 31-03-2018

(ii) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

क्रम सं0	पैरा सं0	विवरण	₹ (लाखों में)
1.	5	निधियों का अनाधिकृत एकत्रीकरण।	0.30
2.	8	निधियों का विलम्ब से जमा करना।	विवरणानुसार
3.	10	निधियों की अधिक वसूली।	0.40
4.	14	चिर अग्रिम लम्बित समायोजन हेतु शेष।	1.07
5.	15	NSS गतिविधियों हेतु जारी ऋण की प्रतिपूर्ति न करना।	0.15
6.	16	अनियमित भुगतान बारे।	1.07
7.	17	क्रय सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियां न करने बारे।	1.30
8.	21	मिश्रित निधि से टेलीफोन,बिजली,व पानी के बिलों का अनियमित भुगतान।	1.25

(iii) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

महाविद्यालय द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनो पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। अंकेक्षण अधियाचना सं: 258 दिनांक 18-09-18 द्वारा प्रधानाचार्य को इस बारे अवगत करवाया गया परन्तु उनके द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया जो कि एक गंभीर मामला है। अतः यह मामला उच्च अधिकारियों के ध्यान में विशेषकर लाया जाता है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनो पर अतिशीघ्र कार्यवाही की जाए अन्यथा अंकेक्षण का कोई औचित्य नहीं रहता। वर्तमान अंकेक्षण के पश्चात पैरों की नवीनतम स्थिति का विवरण **परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है।

भाग्मदो

2 **वर्तमान अंकेक्षण:-**

राजकीय महाविद्यालय चुवाड़ी , जिला चम्बा के छात्र निधि लेखों का वर्तमान अंकेक्षण/जाँच परिक्षण अवधि 01.04.2012 से 31.03.2018 जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुछेदो में दिए गए है, श्री मुकेश कुमार स्नेही (सहायक नियन्त्रक) व श्री प्रीतम चन्द, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 01-09-2018 से 20-09-2018 तक के दौरान कार्यालय परिसर में किया गया। आय की विस्तृत जाँच के लिए माह 06/12, 06/13, 07/14,12/15,11/16 व 11/17 तथा व्यय की विस्तृत जाँच के लिए माह 02/13, 02/14, 09/14, 08/15, 05/16 व 09/17 को चयनित किया गया।

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी भी प्रकार कि गलत सूचना अथवा सूचना जो उपलब्ध नहीं करवाई गई की जिम्मेवारी लेने से इंकार करता है। अंकेक्षण की जिम्मेदारी केवल चयनित माह तक सीमित है।

3 **अंकेक्षण शुल्क:-**

महाविद्यालय के अवधि 01.04.2012 से 31.03.2018 के निधि लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क निम्न विवरणानुसार ₹48000 बनता है।

वर्ष	वर्ष में प्राप्त आय	अंकेक्षण शुल्क
2012-13	773446	8000
2013-14	889486	8000
2014-15	1298227	8000
2015-16	1294359	8000
2016-17	1306827	8000
2017-18	1602607	8000
	कुल जोड़	**₹48000**

उपरोक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु महाविद्यालय के प्रधानाचार्य से अंकेक्षण अधियाचना संख्या 256 दिनांक 10-09-18 द्वारा अनुरोध किया गया। इस राशि को प्रधानाचार्य द्वारा बैंक ड्राफ्ट संख्या 518309 दिनांक 12-09-18 के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,शिमला-9 को भेज दिया है।

4 **वितीय स्थिति:-**

राजकीय महाविद्यालय चुवाड़ी द्वारा प्रस्तुत अवधि 01.04.2012 से 31.03.2018 के निधि लेखों से सम्बन्धित वित्तीय स्थिति का अन्त शेष सहित विवरण **परिशिष्ट "ख"(पृष्ठ-1से 2)**पर वर्णित है।

5 **LAF व SCA निधि के रूप में₹0.30 लाख की अनाधिकृत एकत्रीकरण:-**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों से LAF निधि के रूप में वितीय वर्ष 2013 से 2015 तक ₹3 की दर से व SCA निधि के रूप में ₹10 की दर से निम्नलिखित विवरणानुसार ₹28974 की वसूली की गई है जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार के निदेशक के पत्र सं :ई०डी०एन०-एच (21)ए(3)20/2010-वी.दिनांक 03-06-2010 में वर्णित निधियों में उक्त निधियां

शामिल नहीं है जो की गंभीर मामला है। इसके अतिरिक्त महाविद्यालय प्रशासन को LAF निधि का पूर्ण नाम भी ज्ञात नहीं था। अंकेक्षण अधियाचना सं: 264 दिनांक 19-09-18 द्वारा प्रधानाचार्या को उक्त बारे व LAF निधि का पूर्ण नांम जानने हेतु अवगत करवाया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया गया। मामला उच्च अधिकारीयों के ध्यान में आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है। अत: इन निधियों के एकत्रीकरण का औचित्य नियमानुसार स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(क)LAF निधि :-

वर्ष	छात्र सं0	वसूली गई दर (₹)	वसूली गई राशि (₹)
2012-13	635	3/-	1905
2013-14	794	3/-	2382
2014-15	869	3/-	2607
		जोड़	**₹6894**

(ख)SCA (स्टूडेंट सेन्ट्रल एसोसिएशन)निधि :-

वर्ष	छात्र सं0	वसूली गई दर	वसूली गई राशि (₹)
2012-13	635	10/-	6350
2013-14	794	10/-	7940
2014-15	869	10/-	8690
		जोड़	**₹22980**
		कुल जोड़ (क+ख)	**₹29874**

6 सावधि जमा में निवेश करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि दिनांक 31-03-18 को विभिन्न निधियों में निम्न विवरणानुसार लगभग ₹38.04 लाख शेष था, जो बैंक के बचत खाते में जमा था यदि इन निधियों का उचित वितीय प्रबन्धन किया जाता अर्थात इसमें में कुछ राशि सावधि जमा योजना में निवेशित की जाती तो ब्याज के रूप में अधिक आय प्राप्त की जा सकती थी। इस बारे अंकेक्षण अधियाचना सं: 260 दिनांक 18-09-18 द्वारा संस्था अध्यक्ष को अवगत करवाया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया गया। अत: निधियों के उचित वित्तीय प्रबन्धन को ध्यान में रख कर सावधि जमा में निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ब्याज के रूप में अधिक से अधिक आय अर्जित की जा सके।

क्रम सं	निधि का नाम	खाता सं0	31-03-18 को शेष (₹)
1.	मिश्रित व अन्य निधि	18910101964	1714392
2.	रोवर एंड रेंजर निधि	11522427799	275001
3.	पुस्तकालय जमानत निधि	11522428103	512048
4.	विषय प्रेक्टिकल निधि	18010104283	1029086
5.	खेल निधि	18010120505	273623
		कुल जोड़	**₹3804150**

7 नियमानुसार रसीद बुकों के अभिलेख का रख रखाव न करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों से छात्र निधियों के एकत्रीकरण के लिए जो रसीद बुकें प्रयोग की गई थी उनका भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज नहीं किया गया था और न ही इनको जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया जिसके अभाव में यह पता लगाना सम्भव नहीं था कि अंकेक्षण अवधि के दौरान कितनी रसीद बुकें छपवाई गई ,कितनी रसीद बुकें जारी की गई थी और कितनी रसीद बुकें शेष है I अंकेक्षण अधियाचना सं: 259 दिनांक 18-09-18 द्वारा संस्था अध्यक्ष को इस बारे अवगत करवाया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया गया I अत: परामर्श दिया जाता है कि रसीद बुकों का नियमानुसार उचित प्रकार से अभिलेख रखने हेतु रसीद बुकों को भण्डार रजिस्टर में लेने के पश्चात ही सम्बन्धित कर्मचारी को जारी करना सुनिश्चित किया जाए I महाविद्यालय के अधिकारियों द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेखों के अनुसार अंकेक्षण अवधि के चयनित माहों में जिन रसीद बुकों द्वारा छात्र निधियों की राशि एकत्रित की गई थी उनका विवरण इस प्रकार से है :-

वर्ष	रसीद सं0
2012-13	6313 से 6919
2013-14	878001 से 878300, 878651 से 878939, 846751 से 846800, 846851 से 846950
2014-15	868251 से 868300, 868332 से 868350, 868351 से 868500, 868551 से 868684, 868701 से 868800
2015-16	1801 से 2700
2016-17	3201 से 3300, 4501 से 4754, 2231 से 2300,1801 से 1816, 4801 से 4835
2017-18	797001 से 797268, 889501 से 889550, 889601 से 890000

8 प्राप्त निधियों को विलम्ब से बैंक में जमा करना :-

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार प्राप्त निधियों को विलम्ब से जमा किया गया जबकि नियमानुसार सरकारी प्राप्तियों को उसी दिन या अगले कार्य दिवस को बैंक में जमा करना अपेक्षित था :-

(i) दिनांक 22-11-16 से 24-11-16 तक सब्जेक्ट निधि के ₹7290, मिश्रित निधि के ₹40500 व रोवर एंड रेंजर निधि के ₹3000 की राशि रसीद सं 3201 से 3300 द्वारा कुल ₹50790 एकत्रित की गई व इस राशि को दिनांक 01-12-16 को बैंक में जमा की गई I

(ii) दिनांक 19-11-16 से 08-12-16 तक रसीद सं 02231 से 2300 व 1801 से 1805 द्वारा जुर्माना निधि के ₹2654 प्राप्त किये परन्तु बैंक में दिनांक 13-12-16 को जमा किए गए I

(iii) दिनांक 26-11-16 से 05-12-16 तक रसीद सं 04701 से 4754 द्वारा सब्जेक्ट निधि के ₹2220, मिश्रित निधि के ₹21650,भवन निधि के ₹3180 व रोवर एंड रेंजर निधि के ₹1890 कुल ₹28940 एकत्रित किए गए व बैंक में दिनांक 31-12-16 को जमा किए गए I

विलम्ब से निधियों को बैंक में जमा करने के कारण सरकारी राशि के दुरूपयोग से इन्कार नहीं किया जा सकता है व संस्था को ब्याज के रूप में भी हानि हुई है अत: निधियों को विलम्ब से जमा करने

का औचित्य स्पष्ट किया जाए व यह भी सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटी न दोहराई जाए।

9 **अग्रिम के समायोजन उपरान्त शेष बची₹0.07 लाख की राशि को बैंक में जमा न करवाने बारे :-**

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि महाविद्यालय प्रशासन द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए सहायक प्रोफसरों को अग्रिम राशीयों का भुगतान किया गया। सहायक प्रोफसरों द्वारा समय पर अग्रिम का समायोजन करवाया गया व अग्रिम से शेष बची राशियों को कार्यालय में निम्नलिखित विवरणानुसार जमा करवा दिया गया परन्तु महाविद्यालय कार्यालय द्वारा इन राशियों को बैंक में जमा नहीं किया गया जोकि एक गंभीर मामला था। अंकेक्षण द्वारा प्रधानाचार्य के समक्ष आपत्ति उठाने पर प्रधानाचार्य द्वारा निम्न राशियों को दोषी से वसूल कर मिश्रित निधि के बचत खाता सं: 1801010964 में दिनांक 18-09-18 को अंकेक्षण के दौरान ही जमा करवा दी गई जिसकी जमा की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा कर ली गई है। अतः भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न दोहराई जाए।

रसीद सं0	दिनांक	राशि (₹)
878630	25-05-13	4400
878631	13-03-14	1500
878632	13-03-14	900
	कुल जोड़	**₹6800**

10 **विभिन्न निधियों के रूप में₹0.40 लाख की अधिक वसूली करने बारे :-**

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि प्रधान सचिव(शिक्षा) के पत्र सं:- ई.डी.एन.-ए – खा(8)1/2001 दिनांक -01-06-10 में वर्णित निम्नलिखित निधियों को निर्धारित दर से अधिक दर पर वसूली की गई जो की अनियमित था अंकेक्षण अधियाचना सं: 262, 263 व 265 दिनांक 18-09-18 व 19-09-18 द्वारा संस्था अध्यक्ष को इस बारे अवगत करवाया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया गया। अत: निर्धारित दर से अधिक दर से वसूली करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए व भविष्य में निर्धारित दर से ही वसूली करना सुनिश्चित किया जाए।

निधि का नाम	वर्ष	छात्र सं 0	वसूली गई दर (वार्षिक)	निर्धारित दर (₹)	अधिक वसूली (₹)
SAF(स्टूडेंट ऐड)	2015-16	958	10	2	7664
FRF(फर्नीचर रिपेयर)	2012-13	635	20	10	6350
	2013-14	794	20	10	7940
	2014-15	869	20	10	8690
HEF(हाउस एग्जाम)	2015-16	958	50	40	9580
				जोड़	**₹40224**

11 **जुर्माना विवरणियां प्रस्तुत न करने बारे :-**

अंकेक्षण के दौरान जुर्माना निधि की जाँच में पाया गया कि सहायक प्रोफेसरों द्वारा अंकेक्षण अवधि से सम्बन्धित जुर्माना विवरणीयां अंकेक्षण में आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई जिसके आभाव में वसूले गए जुर्माने की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। अंकेक्षण अधियाचना सं: 266 दिनांक 19-09-18 द्वारा प्रधानाचार्य से उक्त अभिलेख माँगा गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक

संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। अत: जुर्माना विवरणियों को प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवया जाए।

12 **प्रोस्पेक्ट्स बिक्री रजिस्टर प्रस्तुत न करने बारे :-**

अंकेक्षण के दौरान प्रोस्पेक्ट्स की बिक्री से सम्बन्धित रजिस्टर आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में प्रोस्पेक्ट्स बिक्री से सम्बन्धित आय की पूर्ण रूप से जाँच नहीं की जा सकी। अंकेक्षण अधियाचना सं0 261 दिनांक 18-09-18 द्वारा प्रधानाचार्य से उक्त अभिलेख माँगा गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया गया। अत: उक्त बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व आगामी अंकेक्षण पर वांछित अभिलेख आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

13 **निविदाओं को pool करने बारे:-**

निम्न लिखित बिल/वोउचरों कि जाँच करने पर पाया गया कि इनके अन्तर्गत कि गई खरीद से सम्बन्धित निविदाओं पर दो फर्मों का दूरभाष न० एक ही है :-

(क) पुस्तकालय जमानत निधि :-

(i)वा.सं शून्य माह 01/15 मै० राकेश फर्नीचर हाउस काँगड़ा, ₹99099 (15 अलमारी) :-

(1)मै०राकेश फर्नीचर हाउस काँगड़ा :- 01892-265338 व 260202 ,94180-65338,

(2)मै० सुरेश साइंटिफिक ट्रेडर्स काँगड़ा :- यथोपरि

(3)मै० शिवा इंडस्ट्रीज नूरपुर :- 01893-200499

(ख)साइंस प्रेक्टिकल निधि :-

(i)वा.सं. 80 माह 05/12 मै० किक्कर सिंह एंड सन्स नूरपुर , ₹8645/-(2 बेंच)

(1)मै० किक्कर सिंह एन्ड सन्स नूरपुर :- 01893-235304,98160-60605

(2)मै० हरजीत सिंह एंड सन्स नूरपुर :- यथोपरि

(3)मै० करनैल सिंह ठेकेदार नूरपुर :- शून्य

(ii) वा.सं. 85 माह 05/14 मै० मै० सुरेश साइंटिफिक ट्रेडर्स काँगड़ा, ₹30331 (साइंस लैब का सामान)

(iii) वा.सं. 97,98 माह 08/15 मै० सुरेश साइंटिफिक ट्रेडर्स काँगड़ा, ₹42261 (रसायन विज्ञानं का सामान)

(iv) वा.सं. 101 माह 11/15 मै० सुरेश साइंटिफिक ट्रेडर्स काँगड़ा, ₹77159(रसायन विज्ञानं का सामान)

(1)मै० सुरेश साइंटिफिक ट्रेडर्स काँगड़ा :- 01892-265338 व 260202 ,94180-65338,

(2)मै० बेहल इंडस्ट्रीज काँगड़ा :- यथोपरि

(3) **मै०राकेश फर्नीचर हाउस काँगड़ा :-** यथोपरि

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि उक्त वाउचरों के अंतर्गत की गई खरीद से सम्बन्धित निविदाओं पर दो फर्मो या अधिकतर सभी फर्मो का दूरभाष न० एक ही था जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि निविदाओं को pool किया गया है जिसके कारण उक्त खरीदों में बाजारी प्रतिस्पर्धा का लाभ नहीं उठाया जा सका, जिस बारे स्थिति स्पष्ट कि जाये। यह प्रकरण उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान में इस आशय में लाया जाता है कि इस मामले की जाँच उपरान्त यह सुनिश्चित किया जाये कि इस खरीद में किसी प्रकार का अधिक भुगतान नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त उक्त अनियमितता को सक्षम अधिकारी कि स्वीकृति लेने उपरांत नियमित करवाया जाये।

14 चिर लम्बित अग्रिम ₹1.07 लाख समायोजन हेतु शेष:-

जाँच के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा विभिन्न सहायक प्रोफेसरों को निम्न विवरणानुसार प्रदत अग्रिम ₹107000 से सम्बन्धित समायोजन वाउचर आवयश्यक जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गये।

वाउचर सं0	माह	सहायक प्रोफेसर का नाम	राशि (₹)	निधि का नाम
शून्य	12/13	श्री जगदेव चन्द	20000	रोवर एन्ड रेंजर निधि
शून्य	09/14	श्री सतिन्द्र कुमार	27000	यथोपरि
106	09/14	श्री सचिन कुमार	20000	मिश्रित निधि
117	09/14	श्री सचिन कुमार	40000	यथोपरि
		कुल जोड़	**₹107000**	

हि0प्र0 वित्त नियम की धारा 189(3) के अनुसार अग्रिम राशि के जारी की तिथि से 15 दिनों के भीतर समायोजित वाउचर व शेष बची राशि को जमा करवाना अपेक्षित था जबकि उक्त अग्रिम राशियों का भुगतान किए 4 से 5 वर्ष से अधिक का समय हो चूका है। जोकि अति गंभीर मामला है, जोकि उच्च अधिकारियों के ध्यान में आवश्यक जाँच हेतु लाया जाता है। अत: उक्त ₹107000 के समायोजन वाउचरों को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए अन्यथा समायोजन वाउचरों की अनुपस्थिति में अग्रिम के रूप में दी गई उक्त राशि की वसूली दण्ड ब्याज सहित सम्बन्धित से की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

15 मिश्रित निधि से एन०एस०एस० गतिविधियों हेतु जारी ऋण ₹0.15 लाख की प्रतिपूर्ति न करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान एन०एस०एस० गतिविधियों के लिए वाउचर न० 352 माह 12/17 में ₹15000 की राशि ऋण के रूप में मिश्रित निधि से जारी की गई थी परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त ऋण की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित निधि से नहीं की गई है जिसे शीघ्र वसूल कर उक्त निधि में जमा किया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

16 विभिन्न निधियों से किये गए ₹1.07 लाख के अनियमित व्यय बारे :-

हि०प्र० यूनिवर्सिटी आर्डिनेंस अमेनडेड सितम्बर 2002-XLII के अनुसार निम्नलिखित व्यय उनके सामने दर्शाई गई निधियों पर वैद्य प्रभार नहीं है। अत: इन व्यय की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करके इन्हें सम्बन्धित निधियों में जमा किया जाए अन्यथा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लेने उपरान्त नियमित करवाया जाये ।

वा0सं0	माह	विभाग/फर्म का नाम का नाम	राशि	विवरण	निधि का नाम

8	12/17	निदेशक उच्च शिक्षा शिमला	9000	पंजीकरण शुल्क	खेल निधि
482	02/13	मै० सुरेश एसोसिएट्स नालागढ़	80430	इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड	मिश्रित निधि
116	09/14	मै० क्रिएशन अनलिमिटेड	17970	वेबसाइट डेवेलपमेंट	यथोपरि
		कुल जोड़	**₹107400**		

17 क्रय सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियां न करने बारे:-

हिमाचल प्रदेश वित्त नियम 135 के अनुसार प्रत्येक खरीद की स्टॉक प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में करना अनिवार्य है। जाँच में पाया गया कि विभिन्न निधियों से निम्न लिखित सामान ख़रीदा गया परन्तु ख़रीदे गए सामान की स्टॉक प्रविष्टि को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में अंकेक्षण द्वारा की गई खरीद की पुष्टि नहीं की जा सकी। अत: क्रय सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियों न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अपेक्षित प्रविष्टियों को सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में किया जाये अन्यथा निम्न खरीद हेतु भुगतान की गई **₹130206** की राशि को उचित स्त्रोत से वसूल कर सम्बन्धित निधियों में जमा करवाई जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

निधि का नाम	वा0सं0	माह	फर्म का नाम	राशि (₹)	विवरण
मिश्रित निधि	56	01/14	मै०राजधानी स्पोर्ट्स शिमला	54020	बिल में दर्शाया खेल का सामान
यथोपरि	57	02/14	मै वी.के महाजन पठानकोट	4645	48 मेडल्स, 3 ममेनटो
यथोपरि	112	09/14	मै० सिद्ध प्रिंटिंग प्रेस रजोल	4200	26 ममेंनटो
यथोपरि	113	09/14	मै० महाजन क्लॉथ हाउस चोवाडी	4500	10 रीडा
यथोपरि	122	09/14	मै वी.के महाजन पठानकोट	1374	2 वेट लिफिटिंग बेल्ट 1 बास्केट बॉल
यथोपरि	123	09/14	मै नगीन चन्द चोवाडी	700	70kg सफेदी
यथोपरि	294	03/17	मै पी.राम चन्द एंड कम्पनी जलंधर	60767	60 ट्रैक सूट 60 टी शर्ट
			कुल जोड़	**₹130206**	

18 बिल/वाउचर न प्रस्तुत करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान जाँच में निम्न लिखित व्यय बिल/वाउचर आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। अत: इन व्यय वाउचरों को आगामी अंकेक्षण में सत्यापन हेतु प्रस्तुत किए जाए अन्यथा इसकी वसूली सम्बन्धित से की जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत जाए :-

वाउचर सं0	माह	फर्म का नाम	राशि (₹)	निधि का नाम

107	09/14	मोहिन्द्र सिंह	1950	मिश्रित निधि
247, 248	05/16	मै० गणेश ओफ़्सेट प्रिंटर	7754	यथोपरि
		कुल जोड़	**₹9704**	

19 औपचारिकताएं पूर्ण किये स्टॉक/स्टोर का क्रय:-

एच०पी०एफ०आर०97 के अनुसार ₹3000 से अधिक की खरीद कुटेशन के आधार पर करना अपेक्षित है परन्तु जाँच में पाया गया कि निम्नलिखित खरीद कुटेशन के आधार पर नहीं कि गई है जबकि कुटेशन के आधार पर खरीद करके बाजारी प्रतियोगिता का लाभ उठाया जा सकता था। अत:उक्त के अभाव में अंकेक्षण द्वारा भुगतान कि गई दरों कि पुष्टि नहीं की जा सकी। अत: बिना कुटेशन के खरीद करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा सक्षम अधिकारी कि स्वीकृति से इस अनियमितता को नियमित करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

निधि का नाम	वा0स०	माह	फर्म का नाम	विवरण	राशि (₹)
मिश्रित निधि	112	09/14	मै० गीता प्रिंटिंग प्रेस चोवाड़ी	26 ममेंनटो	4200
यथोपरि	251	05/16	यथोपरि	वार्षिक रिपोर्ट कार्ड	4725

20 पत्रिका को अधिक दर पर छपवाने के कारण₹0.09 लाख का अधिक भुगतान करने बारे:-

जाँच के दौरान पाया गया कि वर्ष 2013-14 में निम्नलिखित विवरणानुसार पत्रिका को अधिक दर से छपवाने के कारण ₹9000 का अधिक भुगतान किया गया। अत: प्राप्त राशि अधिक राशि की दर पर पत्रिकाओं की छपवाई करने के कारण स्पष्ट किए जाए तथा अधिक भुगतान की गई **₹9000** को सक्षम अधिकारी से स्वीकृति से नियमित करवाया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

सत्र	भुगतान माह	फर्म का नाम	पत्रिका की संख्या	छपवाई दर	छपवाई योग्य दर	किया गया भुगतान (₹)	भुगतान योग्य राशि (₹)	अधिक भुगतान(₹)
2013-14	06/13	मै० गीता प्रिंटिंग प्रेस चुवाड़ी	600	65	50	39000	30000	**9000**

21 मिश्रित निधि से टेलीफ़ोन, बिजली व पानी के ₹1.25 लाख के बिलों के अनियमित भुगतान बारे :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि चयनित माहों में मिश्रित निधि से निम्नलिखित राशियों का भुगतान टेलीफ़ोन,बिजली व पानी के बिलों की अदायगी के लिए किए गए जो कि इस निधि पर उचित प्रभार नहीं था I अत: निम्न राशियों (चयनित माह के जाँच के अतिरिक्त) इस प्रकार की अन्य राशियों को उचित स्त्रोतों से वसूल करके मिश्रित निधि में जमा किया जाए एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I

क्रम सं0	विवरण	चैक सं0	दिनांक	राशि
1.	बिजली बिल	6610863	28-07-12	19020
2.	यथोपरि	7390571	26-10-12	41676
3.	यथोपरि	617223	01-01-13	6460
4.	यथोपरि	251516	20-08-13	14342
5.	यथोपरि	253670	21-02-14	16806
6.	यथोपरि	100351	26-03-14	9162
7.	यथोपरि	100380	25-08-14	8768
8.	टेलीफोन बिल	744096	25-05-16	1125
9.	पानी बिल	744087	26-05-16	1200
10.	टेलीफोन बिल	532924	25-05-17	3721
11.	टेलीफोन बिल	536767	24-08-17	1309
12.	पानी बिल	547446	09-02-18	1500
			कुल जोड़	**₹125089**

22 रोकड़ बही का सत्यापन न करना :-

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि निम्नलिखित निधियों की रोकड़ बहियों को प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था जिसके अभाव में प्राप्त आय व किए गए व्यय की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी I अत: रोकड़ बही को सत्यापित न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अब इन रोकड़ बहियों को सम्बन्धित प्रधानाचार्य से सत्यापित करवा कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I

रोकड़ बही/निधि का नाम	अवधि
मिश्रित निधि	08/12 से 05/14
रोवर एंड रेंजर निधि	यथोपरि
पुस्तकालय जमानत निधि	07/12 से 12/13
विषय प्रेक्टिकल निधि	08/12 से 05/14

23 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न किया जाना :-

अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि संस्थान के छात्र निधि खाते में से क्रय किये गए सामान की प्रत्यक्ष सत्यापना (फिजिकल वेरिफिकेशन) अंकेक्षण अवधि के दौरान कभी नहीं करवाई गई जबकि हिमांचल प्रदेश वित नियम की धारा 140 के अन्तर्गत स्टॉक में पडे सामान की प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष सत्यापना करवाई जानी अपेक्षित थी। अत: नियमो की अनुपालना में स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अविलम्ब स्टॉक में पड़े सामान का प्रत्यक्ष सत्यापन करवा कर भविष्य में वार्षिक सत्यापन करना सुनिश्चित करते हुए की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

24 **लघु- आपत्ति विवरणिका:-**यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

25 **निष्कर्ष:-** लेखों के रख-रखाव में सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवयश्कता है।

हस्ता/–

(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच (2) सी(15) XI (xi) 119/2003 खण्ड–1–223–225 दिनांक 9.1.19
शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, (उच्चत्तर शिक्षा) शिक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला–171001

2 अवर सचिव (उच्चत्तर शिक्षा) हि0प्र0 सरकार, शिमला–171002

पंजीकृत 3 प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय चुवाड़ी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–

(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पैरा 1(iii) के सन्दर्भ में परिशिष्ट “क”

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 13-07-94 से 03/2002

क्रम सं0	पैरा सं0	पैरे की स्थिति
1.	पैरा-3	अनिर्णीत
2.	पैरा-4	अनिर्णीत
3.	पैरा-6(क)	अनिर्णीत
4.	पैरा-6(ख)	अनिर्णीत
5.	पैरा-6(ग)	अनिर्णीत
6.	पैरा-7(1)	अनिर्णीत
7.	पैरा-7(2)	अनिर्णीत
8.	पैरा-8	अनिर्णीत
9.	पैरा-11(क)	अनिर्णीत
10.	पैरा-11(ख)	अनिर्णीत
11.	पैरा-12(क)	अनिर्णीत
12.	पैरा-12(ख)	अनिर्णीत
13.	पैरा-12(ग)	अनिर्णीत
14.	पैरा-13	अनिर्णीत
15.	पैरा-14	अनिर्णीत
16.	पैरा-15	अनिर्णीत
17.	पैरा-16	अनिर्णीत
18.	पैरा-17	अनिर्णीत
19.	पैरा-18	अनिर्णीत
	अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2002 से 03/2008	
1.	पैरा-4	अनिर्णीत
2.	पैरा-7	अनिर्णीत
3.	पैरा-9	अनिर्णीत
4.	पैरा-10	अनिर्णीत
5.	पैरा-11	अनिर्णीत
6.	पैरा-12	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2008 से 03/2012

1.	पैरा-5	अनिर्णीत
2.	पैरा-6	अनिर्णीत
3.	पैरा-7	अनिर्णीत
4.	पैरा-8	अनिर्णीत
5.	पैरा-9	अनिर्णीत
6.	पैरा-10	अनिर्णीत
7.	पैरा-11	अनिर्णीत
8.	पैरा-12(i)	अनिर्णीत
9.	पैरा-12(ii)	अनिर्णीत
10.	पैरा-12(iii)	अनिर्णीत
11	पैरा-13	अनिर्णीत
12	पैरा-14	अनिर्णीत

अनिर्णीत पैरों का सार	**पैरों की संख्या**
गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार अनिर्णीत पैरे	37
वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंकेक्षण प्रतिवेदन में लगाए गए पैरे	(+)21
कुल पैरे	**58**
अंकेक्षण के दौरान निर्णित किए गए पैरे	00
अन्त शेष (दिनांक 31-3-18 तक)	**58**